बिरसा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

प्रश्न 1.: बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

उत्तर: बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनिश्चितता और प्रतिकूल मौसक की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप खेतों में होने वाली फसल हानि के लिए किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रश्न 2.: किन कारणों से फसल प्रभावित होती है और जोखिम कवर होते हैं?

उत्तर: (क) बुआई नहीं हो पाने/निष्फल होने/रोपन बाधित होने की स्थिति में
(ख) फसल कटाई के उपरांत 14 दिन के भीतर खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिती में
(ग) प्राकृतिक आपदाओं के आधार पर व्यापक क्षती की स्थिती में

प्रश्न 3.: दावे का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?

उत्तर: (क) यदि बीमाकृत मौसम अवधि में बीमा इकाई के लिए बीमित फसलों की प्रति हेक्टेयर वास्तविक पैदावार (सीसीई की अपेक्षित संख्या के आधार पर की गयी गणना), निर्दिष्ट थ्रेशोल्ड उपज से कम हो जाती है, तो उस अधिसूचित क्षेत्र में सभी बीमित किसान और फसल के लिए उपज में कमी को मान लिया जाता है।

निम्नलिखित सूत्र के अनुसार ''दावा'' की गणना की जाएगी:

$$\frac{\text{(थ्रेशोल्ड उपज – वास्तविक उपज)}}{\text{थ्रेशोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

जहां, उस सीजन के लिए एक अधिसूचित बीमा इकाई में एक फसल के लिए थ्रेसहोल्ड यील्ड (टीवाई); पिछले सात वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ 5 वर्षों की औसत उपज में फसल के लिए लागू क्षतिपूर्ति स्तर से गुणा करके प्राप्त की जाती है।

(ख) किसानों के दावों का निपटान तब शुरु होगा जब उक्त मौसम के लिए केंद्र और राज्य सरकार से प्रीमियम अनुदान बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा।

प्रश्न 4.: इस योजना के तहत प्रीमियम दरें क्या हैं?

उत्तर: B-PMFBY योजना के तहत ली जानेवाली बीमांकित प्रीमियम दरें इस प्रकार हैं:
(क) खरीफ फसलों के लिए, किसानों के बैंक खाते के सत्यापन हेतु टोकन राशि के रूप में किसानों से एक (01) रुपये मात्र ली जाएगी।
(ख) रबी फसलों के लिए, किसानों के बैंक खाते के सत्यापन हेतु टोकन राशि के रूप में किसानों से एक (01) रुपये मात्र ली जाएगी।

प्रश्न 5. किसानों के लिए निष्फल बुवाई के दावे कैसे लागू होते हैं?

उत्तर: **निष्फल बुवाई/रोपण जोखिम:** यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र की अधिकांश बीमित फसलों को प्रतिकूल मौसम की स्थिति जैसे कम बारिश या प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बुवाई/रोपण से निष्फल होती हैं, तो बीमित किसान बीमित राशि के अधिकतम 25% क्षतिपूर्ति दावों की पात्र होंगे।

I. अधिसूचित इकाई में प्रारंभिक चरण में नुकसान, 75% से अधिक क्षेत्र में बोई गई फसलों को प्रभावित करने वाले पात्र जोखिमों की व्यापक घटनाओं के मामले में किसानों के लिए कवरेज लागू हैं; जिससे फसल की सम्पूर्ण क्षति होती है या किसान फसल बोने या प्रत्यारोपण करने की स्थिति में नहीं होता है (या) कम या अधिक वर्षा के कारण बुवाई या फसल अंकुरण नहीं हो पाता है।

II. **पात्रता मापदंड:** केवल वे किसान जिन्होंने क्षति से पहले प्रीमियम का भुगतान किया है /क्षति से पहले प्रीमियम उनके खाते से डेबिट किया गया है। राज्य सरकार मौसम की शुरुआत के 15 दिनों के भीतर अधिसूचित बीमा इकाईवार एवं फसलवार सामान्य बुवाई क्षेत्र प्रदान करेगी।

''बाधित बुवाई/रोपण'' का भुगतान केवल तभी होगा जब अधिसूचित फसल के लिए 75% से अधिक बुवाई क्षेत्र उपरोक्त किसी भी जोखिम की घटना के कारण बुवाई रहित हो गया हो।

III. **हानि मूल्यांकन प्रकिया:** कवर केवल प्रमुख फसलों के लिए उपलब्ध होगा।
भुगतान कुल बीमित राशि का 25% होगा और उसके बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड. आईआरडीएआई रजि. नं. 146, CIN: U66030MH2007PLC177117. पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय: पहली मंजिल, एचडीएफसी हाउस, 165–166 बैकबे रेक्लेमेशन, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई–400020. जोखिम घटकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री के समापन से पूर्व सेल्स ब्रोशर/प्रॉसपैक्टस को पढ़ लें. यूआईएन: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - IRDAN125P0003V01201617 | CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18.

नोट: बीमा कंपनी राज्य सरकार के अधिसूचना/आदेश के 30 दिनों के भीतर दावे को वितरित कर देगी, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम अनुदान की अंतिम सरकारी हिस्सेदारी की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न 6.: अगर फसल कट जाती है, तो उसके बाद भी नुकसान कवर होता है और किस हद तक ?

उत्तर: कटाई पश्चात नुकसान: कवरेज केवल उन फसलों के लिए कटाई से दो सप्ताह की अधिकतम अवधि तक उपलब्ध है, जिन्हें ओलावृष्टि, चक्रवात और चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के विशिष्ट जोखिमों के खिलाफ कटाई के बाद खेत में कटने और सूखने की स्थिति में सूखने दिया जाता है।

(क) पूरे देश में चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के कारण परिणामस्वरूप खेत में काटी गई फसल ''कटी और फैली हुई स्थिति'' के बाद फसल का नुकसान होता है, फसल कटाई की तारीख से लेकर सुखाने की अधिकतम अवधि दो सप्ताह (14 दिन) होती है।

(ख) पात्रता मानदंड: केवल वे किसान जिन्होंने नुकसान से पहले प्रीमियम का भुगतान किया है/प्रिमियम उनके खाते से डेबिट किया गया है, निर्दिष्ट जोखिमों से क्षतिग्रस्त, कटाई के 14 दिन बाद तक।

(ग) हानि मूल्यांकन प्रक्रिया: किसान द्वारा क्षति के 72 घंटे में टोल फ्री नंबर 14447 पर तथा हमारे स्थानीय कार्यालय संबंधित बैंक, जिले के स्थानीय सहकारिता विभाग या संम्बंधित अधिकारियों को सूचना प्रदान करना आवश्यक है और जानकारी में खसरा संख्या वार बीमित फसल और प्रभावित रकबे का विवरण होना चाहिए।

किसान को बाद में सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ भरा हुआ फॉर्म दावों के भुगतान के लिए अपेक्षित रूप में प्रदान करना चाहिए।

नुकसान आकलनकर्ता नियुक्त किया जाएगा और मूल्यांकन निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा, जिससे नुकसान आकलन रिपोर्ट के अंतिम रूप दिए जाने के बाद दावों का निपटारा किया जाएगा, जो योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रमियम की प्राप्ति के अधीन है।

दावों से संबंधित प्रश्नों के लिए ग्राहक टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर सकते हैं या care@hdfcergo.com पर मेल कर सकते हैं।

प्रश्न 7.: इस योजना के तहत कौन-सी फसल को कवर किया जा सकता है ?

उत्तर: क. खरीफ में अगहनी धान और मदई मकई
ख. रबी में गेहुँ, चना, राई-सरसों, आलु

प्रश्न 8.: सामान्य प्रीमियम सब्सिडी अनुपात क्या होगा ?

उत्तर: (क) बीमांकित प्रीमियम दर और किसान देय प्रीमियम दर के बीच अंतर को सामान्य प्रीमियम सब्सिडी दर के रूप में माना जाएगा, जिसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

(ख) कुछ राज्य अपने मापदंडों के अनुसार अपने बजट से निर्धारित सब्सिडी के अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करते हैं और किसान सरकारी वेबसाइट पर उसकी स्थिति की जांच कर सकते हैं।

प्रश्न 9.: B-PMFBY के तहत कवर प्राप्त करने के लिए किसान पात्रता क्या है ?

उत्तर: बीमा योजना में रूचि रखने वाले सभी किसानों को इस योजना के तहत कवर किया जा सकता है, जिसमें बटाईदार और किराएदार किसान भी शामिल हैं।

– किसानों को अधिसूचित/बीमित फसलों के लिए बीमा योग्य रूचि होनी चाहिए।

– यह योजना ऋणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाई गई है।

– वे सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए मौसमी कृषि संचालन ऋण लिया हो और जिन्होंने योजना के अंतिम तिथी से 7 दिन पहले बाहर आने का विकल्प नहीं चुन है, वे अपने वित्तीय संस्था द्वारा योजना के तहत नामांकन के पात्र होंगे। फिर बैंक/सीएससी/माध्यम भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर www.pmfby.gov.in पर अंतिम तिथि के अंदर किसानों को नामांकित करेंगे।

– गैर-ऋणी कृषकों के प्रस्ताव पत्र के साथ राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत भूमि प्रमाण पत्र (नवीनतम) रसीद (नवीनतम) एवं अभिप्रमाणित वंशावली की छायाप्रति संलग्न की जाए/किराएदार, बटाईदार द्वारा पट्टा/बटाई संबंधी भूमी प्रमाण पत्र (नोटराईज्ड शपथ पत्र) के साथ प्रमाण पत्र जमा की जाए/राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत भूमी प्रमाण पत्र (नवीनतम) तत्काल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गैर-ऋणी कृषकों के संदर्भ में मुखिया/प्रधान से सत्यापित वंशावली एवं भूमी विवरण के आधार पर भी उनके फसल का बीमा किया जा सकेगा।

एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड. आईआरडीएआई रजि. नं. 146, CIN: U66030MH2007PLC177117. पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय: पहली मंजिल, एचडीएफसी हाउस, 165-166 बैकबे रेक्लेमेशन, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-400020. जोखिम घटकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री के समापन से पूर्व सेल्स ब्रोशर/प्रॉसपैक्टस को पढ़ लें. यूआईएन: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - IRDAN125P0003V01201617 | CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18.

– कृषक अपने कृषि योग्य भूमी पर अधिसूचित फसल/फसलों के लिए केवल एक बार बीमा आच्छादन का लाभ ले सकता है। दुसरे शब्दों में योजनांतर्गत एक ही रकबे हेतु एक से अधिक बार बीमा कराने की अनुमती नहीं है। एक ही खसरा/रकबा का एक से अधिक बार बीमा होने की स्थिति में जो रकबा पहले प्रविष्ट की गई हो उसे बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किया जाएगा तथा अन्य सभी दावों प्रावधानानुसार निरस्त कर दिया जाएगा।

प्रश्न 10.: क्या B-PMFBY के लिए नामांकन की कोई समयसीमा है ?

उत्तर: सभी नामांकन आवश्यक रूप से अंतिम तिथि के भीतर पूरे करने आवश्यक हैं जैसा संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना में परिभाषित किया गया है और किसान के हिस्से का प्रीमियम बीमा कंपनी को अंतिम तिथि के भीतर बैंक या मध्यवर्ती द्वारा विधिवत प्रेषित होना चाहिए। अंतिम तिथि के उपरांत किसी भी देरी के कारण बीमा कंपनी को कवरेज अस्वीकार करने का अधिकार है।

प्रश्न 11.: B-PMFBY योजना के कार्यान्वयन का उद्देश्य क्या है ?

उत्तर: B-PMFBY एक जोखिम शमन उपकरण है जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना और किसानों की आय स्थिर करना है ताकि खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित हो सके। यह सभी चरणों में अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसलों के जोखिमों को कवर करता है, अर्थात् बुवाई से लेकर फसल कटाई तक। यह किसानों को आधुनिक और नवीन कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि कृषि क्षेत्र में आय और स्थायी उत्पादन स्थिर हो सकें।

प्रश्न 12.: व्यक्तिगत किसान के लिए बीमित राशि क्या है ?

उत्तर: व्यक्तिगत किसान के लिए बीमित राशि किसानों द्वारा अधिसूचित फसल के क्षेत्र से गुणित प्रति हेक्टेयर वित्त के पैमाने के बराबर है। खरीफ 2024 के लिए एचडीएफसी एर्गो को आबंटित राज्यों में विभिन्न फसलों की विभिन्न फसलों की बीमित राशि को संबंधित राज्यों के NCIP पोर्टल पर देखा जा सकता है।

प्रश्न 13.: किसान के दावों के निपटारे का आधार क्या है ?

उत्तर: थ्रेशोल्ड यील्ड (TY) मापदंड उपज स्तर होगी, जिस पर किसी बीमा इकाई में सभी बीमित किसानों को बीमा सुरक्षा दी जाएगी। बीमा इकाई (IU) में अधिसूचित फसल की औसत उपज, पिछले सात वर्षों में सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्षों की औसत उपज होगी। अधिसूचित फसल की थ्रेशोल्ड पैदावार क्षतिपूर्ति स्तर से गुणित औसत उपज के बराबर है।

प्रश्न 14.: ऋण लेने वाले किसानों से प्रस्ताव और प्रीमियम की संग्रह प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर: सभी ऋणी किसानों के लिए इस योजना को स्वैच्छिक बनाया गया है।

सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए मौसमी कृषि संचालन ऋण अर्थात किसी वित्तीय संस्था (सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक आदि) से ऋण लिया हो और जिन्होंने योजना की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले बाहर आने का विकल्प नहीं चुना है, वे अपने वित्तीय संस्थानों द्वारा योजना के तहत नामांकन के पात्र होंगे। फिर बैंक/सीएससी/मध्यस्थ भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर www.pmfby.gov.in पर अंति तिथि के अंदर किसानों को नामांकित करेंगे।

फसलों के मौसम के आधार पर, बैंकों को वित्त पैमाने के आधार पर खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए देय राशि की पात्रता की गणना अलग से करनी चाहिए और अधिसूचित फसलों के तहत व्यक्तिगत ऋणी किसान के क्षेत्र की घोषणा करनी चाहिए।

प्रश्न 15.: गैर ऋणी किसानों से प्रस्ताव और प्रीमियम की संग्रह प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर: (क) वैकल्पिक घटक के तहत गैर ऋणी किसान – चैनल पार्टनर /मध्यस्थ – AIDE APP / AIDE Application

उन सभी किसानों को जिन्होंने एसओए (मौसमी कृषि संचालन) ऋण क लाभ नहीं लिया है और बीमा योग्य रूचि रखते हैं, वे बस निकटतम वाणिज्यिक बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) या पैक्स (JSCB) शाखा में जाकर कवर ले सकते हैं। बैंक अधिकारी प्रस्ताव फॉर्म भरने, प्रासंगिक दस्तावेज, बीमित राशि और लागू प्रीमियम आदि के संबंध में किसानों की सहायता और मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे मामलों के लिए बैंक खाते का संचालन आवश्यक है।

बीमा कंपनियां बीमा प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार बरकरार रखती हैं। यदि कोई प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है, तो प्रस्ताव प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर बीमा कंपनियों द्वारा प्रमियम वापस कर दिया जाएगा। प्रस्ताव फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

प्रश्न 16.: क्या प्रक्रिया है जिसका राज्य अनुसरण करता है और अधिसूचना करता है ?

उत्तर: (क) B-PMFBY योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से प्रशासनिक निर्देश जारी करने के बाद, SLCCI आम तौरपर बोली

एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड. आईआरडीएआई रजि. नं. 146, CIN: U66030MH2007PLC177117. पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय: पहली मंजिल, एचडीएफसी हाउस, 165–166 बैकबे रेक्लेमेशन, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई–400020. जोखिम घटकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री के समापन से पूर्व सेल्स ब्रोशर/प्रॉसपैक्टस को पढ़ लें. यूआईएन: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - IRDAN125P0003V01201617 | CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18.

नोटिस जारी करने के साथ फसलों, अधिसूचित क्षेत्र, वित्त के पैमाने, क्षतिपूर्ति स्तर आदि की अधिसूचना पर विभिन्न नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक आयोजित करता है।

(ख) SLCCI आम तौर पर फसल सीजन शुरु होने के कम से कम एक महीने पहले यानी खरीफ के लिए मार्च और रबी के लिए सितम्बर में अपने राज्यों की संबंधित सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को अधिसूचना और सर्कुलेशन जारी करता है।

(ग) अधिसूचना जारी करने से एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार और चयनित कार्यान्वयन एजेंसी के साथ समन्वय में फसल बीमा पोर्टल पर अधिसूचना की सभी अपेक्षित जानकारी अपलोड कराना एवं उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

प्रश्न 17.: क्या नामांकन के लिए कोई कट ऑफ डेट है?

उत्तर: (क) B-PMFBY दिशानिर्देशों के अनुसार मध्यस्थों और बैंकों के लिए अंतिम तिथियां अलग-अलग होती हैं। ऋणी किसानों को कवर करने के लिए समग्र ऋण अवधि, खरीफ के लिए – 16 अगस्त से 15 सितम्बर के लिए और रबी के लिए 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक होगी।

(ख) किसानों से प्रीमियम जमा करने के लिए बैंकर्स – ऋणी और गैर-ऋणी किसान दोनों के लिए प्रस्ताव फार्म प्राप्त करने/खाते से प्रीमियम डेबिट की अंतिम तिथि खरीफ के लिए 15 सितम्बर और रबी के लिए 15 दिसंबर है।

(ग) बैंकर्स को बीमा कंपनी में जमा करने के लिए – नोडल बैंक/बैंक शाखाओं से समेकित घोषणा/प्रस्ताव की प्राप्ति की अंतिम तिथि, किसानों के खाते से प्रीमियम डेबिट करने के बाद ऋणी किसानों के लिए 15 दिनों के भीतर और गैर-ऋणी किसानों के लिए अंतिम तिथी से 7 दिनों के भीतर क्रमश: खरीफ और रबी सीजन में हैं।

(घ) बीमा मध्यस्था से बीमा कंपनी को प्रस्तुत करना – नामित बीमा एजेंट से बीमा कंपनी को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव की प्राप्ति की अंतिम तिथि क्रमश: घोषणा/प्रीमियम प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर होगी।

प्रश्न 18.: क्या पोर्टल में डेटा दर्ज करने के लिए कोई अंतिम तिथि हैं?

उत्तर: किसी भी बैंकर या मध्यस्थ के माध्यम से किये गए सभी नामांकन, व्यक्तिगत बीमित किसानों की सूचना (सॉफ्ट कॉपी) फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि, प्रीमियम के संग्रह की अंतिम तिथि के 15 दिनों के भीतर होगी।

प्रश्न 19.: राज्य बीमा कंपनियों को उपज के आंकड़े कब प्रदान करते हैं?

उत्तर: राज्य सरकार के लिए, कट-ऑफ तारीखों को सभी उपज के आंकड़े फसल कटाई को अंतिम रूप देने और अंतिम फसल की तारीख से एक महीने के भीतर बीमा कंपनियों को सभी उपज के आंकड़े प्रदान करना आवश्यक है।

प्रश्न 20.: डेटा प्राप्त करने के बाद बीमा कंपनी दावों का निपटान कब करेगी?

उत्तर: बीमा कंपनियां राज्य सरकार से उपज के आंकड़े प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर उपज के आंकड़ों के आधार पर अंतिम दावे का भुगतान करेंगी।

प्रश्न 21.: मूल्य निर्धारण या प्रीमियम दर प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनियों की बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं?

उत्तर: (क) यह योजना बीमा इकाई (आईयू) नामक चयनित परिभाषित क्षेत्र में एरिया एप्रोच के सिद्धांत पर काम करेगी। राज्य सरकार प्रमुख फसलों के लिए ग्राम पंचायत की बीमा इकाई या अन्य समकक्ष इकाइयों को सूचित करेगी और गौण फसलों के लिए ग्राम/प्रखंड स्तर है।

(ख) SLCCI, दो महीने के भीतर बीमा कंपनी को बीमाकृत फसलों के बुवाई क्षेत्र के साथ-साथ बीमित अवधि के लिए मानक प्रारूप में प्रमुख और गौण फसलों के लिए बीमा इकाई पर आधारित कम से कम पिछले 10 वर्षों के एतिहासिक उपज के आंकड़े प्रदान करेगी।

(ग) ऋणी और गैर-ऋणी किसानों दोनों के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि बराबर होगी जो जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा तय की गई है, और SLCCI इसको पूर्व घोषित करेगी एवं बीमा कंपनियों को सूचित करेगी।

प्रश्न 22.: बोई गई फसल और परिवर्तन के बारे में कंपनी को सूचित करने के लिए क्या प्रक्रिया है?

उत्तर: यदि किसान बोई जाने वाली फसल को बदलता है, तो उसे बीमा खरीदने या बुवाई के लिए वित्तीय संस्था/चैनल पार्टनर/बीमा मध्यस्थ को बदलाव करने से अंतिम तिथी दिनांक से कम से कम 2 दिन पहले बीमा कंपनी को सीधे सूचित करना चाहिए; जैसा भी मामला हो, प्रीमियम देय में अंतर, यदि कोई हो, साथ में राज्य संबंधित गांव/उप-जिला स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किए गए बुवाई प्रमाण पत्र के साथ। यदि प्रीमियम का भुगतान अधिक हुआ, तो बीमा कंपनी अतिरिक्त प्रीमियम को वापस कर देगी।

एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड. आईआरडीएआई रजि. नं. 146, CIN: U66030MH2007PLC177117. पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय: पहली मंजिल, एचडीएफसी हाउस, 165-166 बैकबे रेक्लेमेशन, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-400020. जोखिम घटकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री के समापन से पूर्व सेल्स ब्रोशर/प्रॉसपैक्टस को पढ़ लें. यूआईएन: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - IRDAN125P0003V01201617 | CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18.

प्रश्न 23.: बैंक और मध्यसों को देय कमीशन और बैंक शुल्क क्या हैं ?

उत्तर: बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों आदि को किसानों से एकत्रित प्रीमियम का 4% सेवा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। आईआरडीए विनियमों के अधीन निर्धारित बीमा कंपनी द्वारा तय किए गए अनुसार किसानों को बीमा संबंधी सेवाओं से जुड़े ग्रामीण एजेंटों को उचित कमीशन का भुगतान किया जाएगा।

प्रश्न 24.: क्या इस योजना के तहत सेवा कर लागू है ?

उत्तर: B-PMFBY को सेवा कर से छूट प्राप्त है।

एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड. आईआरडीएआई रजि. नं. 146, CIN: U66030MH2007PLC177117. पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय: पहली मंजिल, एचडीएफसी हाउस, 165–166 बैकबे रेक्लेमेशन, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई–400020. जोखिम घटकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री के समापन से पूर्व सेल्स ब्रोशर/प्रॉसपैक्टस को पढ़ लें. यूआईएन: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - IRDAN125P0003V01201617 | CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18.